न्यायालय सं0–1

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

उपस्थित–माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर),अध्यक्ष)

निर्देश याचिका सं0–1035/2024

सुख पाल शर्मा, उम्र लगभग 65 वर्ष, पुत्र स्व0 श्री बाबू राम शर्मा, निवासी–सेन्ट फ्रान्सिस स्कूल, खेड़ीकरमू, शामली, उ0 प्र0।

...याची।

बनाम

1. उ0प्र0 राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी शामली।
3. उप जिलाधिकारी तहसील–ऊन, शामली।

...विपक्षीगण

याची की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, श्री एस0 एन0 मिश्रा
विपक्षीगण की ओर से उपस्थित वरिष्ठ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, श्री पंकज सिंह,

निर्णय

(द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर),अध्यक्ष)

यह निर्देश याचिका याची **सुख पाल शर्मा** द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत 02 किता प्रतिवेदन निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 10.01.2024, प्रत्येक (संलग्नक संख्या–1 व 1ए) को निरस्त करने एवं याची की नियुक्ति तिथि दिनांक 03.02.1982 के आधार पर याची का वेतन निर्धारित करते हुए परिणामिक समस्त सेवा लाभ निर्धारित करके, सम्पूर्ण धनराशि ब्याज सहित दिलाये जाने हेतु दिनांक 17.05.2024 को प्रस्तुत की गयी।

संलग्नक–1 के रूप में मौजूद आदेश दिनांकित 10.1.2024 द्वारा उप जिलाधिकारी ऊन शामली विपक्षी सं0–3 ने याची का प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022/14.09.2022 आधारहीन होने के कारण निरस्त किया। उक्त प्रत्यावेदन द्वारा याची ने अपनी मौलिक नियुक्ति की तिथि से सही वेतन निर्धारण करते हुए समस्त सेवा लाभ दिलाये जाने की प्रार्थना की तथा कथन किया कि विपक्षीगण द्वारा उसकी मौलिक नियुक्ति गलत रूप से 31.12.1985 अंकित की गयी है जबकि उसकी सही नियुक्ति तिथि दिनांक 03.02.1982 है अतः दिनांक 03.02.1982 से उसका वेतन निर्धारण करके उसे समस्त सेवालाभ प्रदान कराये जायें।

संलग्नक–1ए रूप में मौजूद दूसरे आदेश दिनांकित 10.01.2024 द्वारा याची का प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022 प्रतिपक्षी संख्या 3 द्वारा निरस्त किया गया।

याची द्वारा लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में दाखिल याचिका संख्या 1178/2012 सुख पाल शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित निर्णय दिनांकित 28.05.2014 के अनुसार याची को दिनांक 01.06.1998 से 20.1.2008 तक के वेतन भत्ते 03 माह के अन्दर दिये जाने के आदेश पारित हुए थे। विपक्षी पक्ष ने उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल की जिसे माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 12.05.2017 को निरस्त किया। इसके पश्चात् याची द्वारा दाखिल अवमानना याचिका संख्या 345/2014 का अनुपालन विपक्षीगण द्वारा आंशिक रूप से किया गया। जो अनुपालन न्यायालय के आदेश दिनांकित 04.07.2007 से होना चाहिए था वह अनुपालन दिनांक 08.03.2021 व 21.10.2021 को किया गया अतः उक्त विलम्ब भुगतान पर 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की प्रार्थना याची द्वारा करते हुए प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022 दिया गया।

याची पक्ष से एक से अधिक अनुतोषों के सम्बन्ध में एक ही याचिका प्रस्तुत की गयी है। यहां पर जहां याची के प्रथम प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022/14.09.2022 पर जो आदेश 10.1.2024 दिनांकित (संलग्नक–1) पारित किया गया है वह याची का वेतन उसकी नियुक्ति तिथि दिनांक 03.02.1982 मानते हुए से निर्धारित करने के सम्बन्ध में है। दूसरा प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022 याची द्वारा वेतन व पेंशन निर्धारण दिनांक 04.07.2007 से चाहते हुए प्राप्त राशि 04.07.2007 से 18 प्रतिशत व्याज सहित दिलाये जाने हेतु दिया गया है जिस पर आदेश 10.1.2024 दिनांकित (संलग्नक–1ए) पारित किया गया है।

इस प्रकार दोनों प्रत्यावेदनों में प्रार्थना बिल्कुल अलग–अलग है और दोनों के सम्बन्ध में विपक्षी संख्या–3 द्वारा अलग अलग आदेश भी पारित किये गये हैं। अतः दोनों अलग प्रार्थना पत्रों के लिए याची द्वारा एक ही याचिका प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रश्नगत याचिका मात्र प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022/14.09.2022 जो आदेश दिनांकित 10.1.2024 (संलग्नक–1) द्वारा निस्तारित हुई है मात्र इसी सम्बन्ध में गुण–दोष के आधार पर निस्तारित की जाती है तथा दूसरे प्रत्यावेदन दिनंकित 13.09.2022 पर पारित आदेश दिनांकित 10.1.2024 (संलग्नक–1ए) के बावत याची की मांग बिना किसी गुण–दोष पर जाये, इस निर्देश के साथ निरस्त की जाती है कि उक्त अनुतोष के लिये याची दूसरी याचिका दाखिल करने हेतु स्वतंत्र है।

प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022/14.09.2022 जो आदेश दिनांकित 10.1.2024 (संलग्नक–1) द्वारा निस्तारित किया गया है के द्वारा याची ने अपना वेतन निर्धारण 1982 से निर्धारित करते हुए तदनुसार अन्य सेवा लाभों को प्रदान करने की प्रार्थना की। याची ने याचिका में कहा कि वह लेखपाल के पद पर रिक्त पद के सापेक्ष वेतनमान 330–550 पर दिनांक 03.02.1982 को तहसील देवबन्द, जनपद सहारनपुर में नियुक्त हुआ था। तब से लगातार सेवा देते हुए वह दिनांक 31.10.2019 को सेवानिवृत्त हुआ। याची ने जब 13. 09.2022/14.09.2022 दिनांकित प्रत्यावेदन विपक्षी सं.–03 को सम्बोधित करते हुए दिया कि उसके वेतन में गम्भीर अनियमितताएं की गयी है तो उसे अवगत कराया गया कि उसका वेतन निर्धारण 01.01.1986 से निर्धारित किया गया है, जबकि विभाग में याची की सर्वप्रथम नियुक्ति दिनांक 03.02.1982 में हुई थी। यदि उसके सेवा का आकलन नियुक्ति तिथि 03.0.2.1982 से करते हुए वेतन निर्धारण किया जायेगा तो कोई विसंगति नहीं रह जायेगी। याची का कथन है कि जब स्वीकृत रूप से विपक्षी के दस्तावेजों में उसका प्रथम वेतन निर्धारण 03.02.1982 से अंकित है तो याची की सेवा पुस्तिका जो विपक्षी के ही अभिरक्षा में रहती है उसमें याची की नियुक्ति दिनांक 31.12.1985 को कैसे अंकित हो सकती है। अतः याची द्वारा अपना वेतन निर्धारण 03.02.1982 से कराये जाने एवं तदनुसार परिणामिक लाभ दिलाये जाने की प्रार्थना की गयी।

विपक्षी पक्ष से कथन किया गया कि विभाग में याची का कोई नियुक्ति पत्र मौजूद नहीं है। याची की सेवा पुस्तिका में तहसीलदार कैराना के आदेश दिनांकित 14.03.1988 में भूलेख अधिकारी के पत्र संख्या–4000/सात–भूलेख दिनांक 15.12.1987 के अनुसार याची की मौलिक नियुक्ति दिनांक 31.12.1985 अंकित की गयी है। इसी के आधार पर 01.01.1986 से याची का वेतन निर्धारण 950/– में नियमानुसार किया गया है। दिनांक 01.01.1992 से अस्थायी रूप से रोकी गयी तीन वेतन वृद्धियां भी याची को प्रदान की गयी तथा 14 वर्ष की सेवा के आधार पर दिनांक 31.12.1999 को प्रथम प्रोन्नत वेतनमान रू0 4500–125–7000 निर्धारित किया गया तथा दिनांक 31.12.2004 को 19 वर्ष की सेवा पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि प्रदान की गयी तथा दिनांक 01.01.2006 से छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान 2800 रू0 ग्रेड पे में निर्धारित किया गया तथा दिनांक 01.12.2008 से 16 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान करते हुए ग्रेड पे0 4200 निर्धारित किया गया तथा दिनांक 31.12.2011 से 26 वर्ष की सेवा पर तृतीय ए0सी0पी0 ग्रेड पे0 4600 अनुमन्य किया गया तथा दिनांक 01.01.2016 से सातवें वेतन आयोग के अन्तर्गत

वेतनमान पुर्नरीक्षित कर नियमानुसार प्रदान किया गया तथा दिनांक 31.10.2019 को याची की सेवानिवृत्ति के उपरान्त उपरोक्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप समस्त लाभ प्रदान किये जा चुके हैं।

इस प्रकार प्रश्नगत प्रकरण में विवाद का विषय मात्र यह है कि याची की मौलिक नियुक्ति की दिनांक याची के कथनानुसार दिनांक 03.02.1982 है अथवा विपक्षी के कथनानुसार दिनांक 31.12. 1985 है जिसके आधार पर याची का वेतन निर्धारित किया जाना है।

उभय पक्षों की बहस विस्तारपूर्वक सुनने एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किये जाने के पश्चात् मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुँचती हूँः–

याची का कथन है कि उसकी नियुक्ति लेखपाल के पद पर दिनांक 03.02.1982 को हुयी थी जिसके समर्थन में उसके द्वारा 29 लेखपालों के नियुक्ति आदेश दिनांकित 04.07.1981 की प्रतिलिपि पेश की जिसमें 13वें क्रमांक पर याची का नाम अंकित है। याची ने संलग्नक–4 के रूप में जिला अधिकारी सहारनपुर के कार्यालय को भेजा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसे दिनांक 31.12.1981 को तहसील कैराना से कार्यमुक्त किया गया है वह कार्यमुक्त न होने के कारण इससे पूर्व उपस्थित रिपोर्ट न दे सका था उसकी नियुक्ति जिला अधिकारी महोदय के आदेश से तहसील देवबन्द में की गयी थी। अतः आवश्यक आदेश देने की प्रार्थना की गयी।

याची द्वारा विपक्षी के एतराजों के जवाब में प्रत्योत्तर/ शपथपत्र प्रस्तुत किया गया जिसके साथ अपनी सेवा पुस्तिका की वर्ष 1982–83 की वार्षिक प्रविष्टि भी पेश की गयी जो तहसीलदार देवबंद द्वारा प्रदान की गयी है तथा अधिकरण के निर्देश याचिका सं0 468/2005 सुख पाल शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित विवेचन/प्रतिशपथपत्र भी पेश किया गया जिसके प्रस्तर–4 में विपक्षी पक्ष ने उल्लिखित किया कि सेवा अभिलेखों के अनुसार याची की नियुक्ति लेखपाल के पद पर 03.02. 1982 अंकित की गयी तथा लेखपाल के पद पर याची को 06.05. 1989 को स्थाई किया जाना बताया गया। इसके पश्चात याची की नियुक्ति 03.02.1982 को होने सम्बन्धी विभागीय रजिस्टर की प्रति भी पेश की गयी जिसके आधार पर कथन किया गया कि जब स्वीकृत रूप से विपक्षी के दस्तावेजों में उसका प्रथम वेतन निर्धारण 03.02.1982 से अंकित है तो याची की सेवा पुस्तिका जो विपक्षी के ही अभिरक्षा में रहती है उसमें याची की नियुक्ति 31.12.1985 कैसे अंकित हो सकती है यह सर्वथा गलत है।

इस सम्बन्ध में विपक्षी पक्ष ने न्यायालय का ध्यान पत्रावली पर मौजूद रजिस्टर की ओर आकर्षित किया गया जिसके अनुसार जहां

याची की नियुक्ति तिथि दिनांक 03.02.1982 अंकित है वहीं गृह जनपद में उसका स्थानान्तरण होने पर उसे 19.10.1983 को कार्यभार से मुक्त किया गया किन्तु प्रस्तुत रजिस्टर के अंकन के अनुसार भूलेख अधिकारी के पत्र संख्या–4000/सात–भूलेख दिनांक 15.12.1987 में याची की मौलिक नियुक्ति दिनांक 31.12.1985 अंकित की गयी जिसके आधार पर उसे समस्त परिणामिक सेवानिवृत्तिक लाभ दिये गये है।

भूलेख अधिकारी के पत्रांक के आधार पर याची की नियुक्ति दिनांक 31.12.1985 किस आधार पर अंकित की गयी यह विपक्षी पक्ष से स्पष्ट नहीं किया गया। अधिकरण में याचिका संख्या 468/05 में विपक्षी पक्ष, उप जिलाधिकारी कैराना द्वारा प्रस्तुत लिखित विवेचन/प्रतिशपथपत्र में याची की नियुक्ति तिथि लेखपाल के पद पर दिनांक 03.02.1982 अंकित की गयी। इस प्रकार स्वयं विपक्षी के दस्तावेजों तथा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत लिखित विवेचन/प्रतिशपथपत्र में याची की लेखपाल के पद पर सर्वप्रथम नियुक्ति दिनांक 03.02.1982 अंकित होने के बाद दिनांक 14.03. 1988 को किस साक्ष्य के आधार पर भूलेख अधिकारी द्वारा याची की नियुक्ति की तिथि दिनांक 31.12.1985 अंकित की गयी यह विपक्षी पक्ष से स्पष्ट न किये जाने के कारण उक्त तिथि 31.12. 1985 मान्य नहीं है। स्वीकृत रूप से विपक्षीगण द्वारा 31.12. 1985 को याची की सेवा की मौलिक नियुक्ति तिथि मानते हुए याची को दिये जाने वाले समस्त परिणामिक लाभ दिये गये है जबकि उक्त लाभ याची को उसकी मौलिक नियुक्ति दिनांक 03.02.1982 के आधार पर दिये जाने चाहिए थे।

पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के अनुसार याची की नियुक्ति तिथि जो कि स्वयं विपक्षी के दस्तावेजों में दिनांक 03.02.1982 है इसे विपक्षी के कथनानुसार भूलेख अधिकारी द्वारा बिना किसी आधार के दिनांक 31.12.1985 अंकित किया जाना न्यायोचित नहीं पाया जाता है। उक्त गलती विपक्षी पक्ष के रिकार्ड में प्रथम दृष्टया अंकित है जिसके आधार पर विपक्षीगण द्वारा याची का समस्त सेवा लाभ गलत रूप से निर्धारित किया जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रश्नगत आदेश में याची के समस्त सेवा लाभ तथा सेवानिवृत्तिक लाभ उसकी नियुक्ति तिथि गलत रूप से 31.12.1985 को मानते हुए निर्धारित किये गये हैं जो कि रिकार्ड के अनुसार ही न्यायोचित नहीं है। अतः याची की याचिका उसके प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022/14.09. 2022 पर पारित आदेश दिनांकित 10.01.2024 जो कि संलग्नक–1 के रूप में पत्रावली पर मौजूद है को मैं रिकार्ड के विरूद्ध पाते हुए निरस्त होने योग्य पाती हूँ। परिणामतः संलग्नक–1

आदेश दिनांकित 10.1.2024 के सम्बन्ध में याची की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

याची की निर्देश याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। याची के प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022/14.09.2022 पर पारित आदेश दिनांकित–10.1.2024 (संलग्नक–1) जिसके द्वारा याची की नियुक्ति तिथि 31.12.1985 मानते हुए याची के प्रत्यावेदन को निरस्त किया गया है को विधि विरूद्ध पाते हुए, निरस्त किया जाता है। विपक्षीगण को निर्देशित किया जाता है कि वह याची की लेखपाल के पद पर दिनांक 03.02.1982 से नियुक्ति मानते हुए तदनुसार समस्त परिणामिक सेवा एवं सेवानिवृत्तिक लाभ याची को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के 03 माह के अन्दर प्रदान करें।

याची के प्रत्यावेदन दिनांकित 13.09.2022 जिसे आदेश दिनांकित 10.1.2024 (संलग्नक–1ए) द्वारा निरस्त किया गया है, के सम्बन्ध में मौजूदा याचिका निरस्त की जाती है तथा याची को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि याची चाहे तो इस सम्बन्ध में एक स्वतंत्र याचिका दाखिल कर वांछित अनुतोष की याचना कर सकता है।

उभय पक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–

(न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर)
(अध्यक्ष)

निर्णय आज खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

ह0/–

(न्यायमूर्ति साधना रानी (ठाकुर)
(अध्यक्ष)

दिनांकः अप्रैल 24,2025
वी0के0पटेल/पी0ए0